

Order sheet [Contd]

case No: ba-147/2017 B.A

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
04/07/17	<p>आवेदक विनय कुमार जैन उर्फ कल्ला द्वारा श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता उप0।</p> <p>अनावेदक/राज्य की ओर से श्री बघेल ए0जी0पी उप0।</p> <p>विशेष डकैती प्रकरण क्र0-72/2015 डकैती राज्य द्वारा पुलिस गोहद बनाम राजाभैया आदि का मूल अभिलेख प्राप्त है।</p> <p>अतः आवेदक विनय कुमार जैन के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-451 दप्रसं पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>आवेदक की ओर से प्रकरण में जब्तशुदा 1,25,000/-रुपये नगद एवं एक जोड़ी चांदी की पाजेब इस आधार पर उसे प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गयी है कि इस मामले में किए गये निर्णय दिनांक-17/02/2017 के अनुसार उक्त राशि एवं एक जोड़ी चांदी की पाजेब उसे दिये जाने का अंतिम आदेश कर दिया गया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण के अध्ययन करने से स्पष्ट है कि इस मामले में अभियुक्तगण राजाभैया उर्फ पहलवान, दिलीप, कृपाल उर्फ पप्पू, उदयसिंह एवं प्रमोद के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया था। दौराने विचारण अभियुक्त प्रमोद की मृत्यु हो गयी और शेष चारों अभियुक्तगण के संबंध में दि0-17/02/2017 को निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्तगण को आयुध अधिनियम की धारा-25 एवं 27 तथा भा.द.वि की धारा-395 सहपठित धारा-397 एवं एम.पी.डी.व्ही.पी.के. की धारा-11 एवं 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया है कि इस मामले में दोषसिद्धी के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गयी है।</p> <p>इस मामले में दोषसिद्धी के विरुद्ध कोई अपील न होने प्रकट है तथा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से भी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अपील की अवधि व्यतीत हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में जब्तशुदा संपत्ति के संबंध में निर्णय दि0-17/02/2017 को जो आदेश किया गया है, वह अंतिम हो चुका है। वैसे भी अभियोजन के अनुसार पांच लाख रुपये नगद एवं चांदी की पाजेब सहित अन्य जेवर एवं सामान की लूट हुई है, जिसमें से एक जोड़ी चांदी जैसी पाजेब एवं 1,25,000/-रुपये की राशि तथा अन्य सामान जब्त हुआ है। ऐसी स्थिति में भी उक्त सामग्री आवेदक विनय कुमार जैन की ही होना प्रकट होती है। अन्य किसीने उसपर क्लेम भी नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण का अंतिम निराकरण हो चुका है और जब उसकी कोई अपील नहीं हुई है, तब उक्त निर्णय दि0-17/02/2017 के अनुसार उक्त 1,25,000/-रुपये एवं एक जोड़ी चांदी जैसी पाजेब आवेदक विनय कुमार जैन को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उसका सुपुर्दगी आवेदनपत्र स्वीकार किया गया। उक्त</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) की राशि एवं चांदी जैसी पाजेब फरियादी विनय कुमार जैन उर्फ कल्ला को वापिस की जावे। इस हेतु पत्र प्रेषित किया जावे। इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि विशेष डकैती प्रकरण क्र0-72/2015 में संलग्न की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो ।</p> <p>(मोहम्मद अज़हर) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद</p>	